



OFFICE OF THE CO-ORDINATOR PRE D.EL. ED. EXAM- 2025



Vardhman Mahaveer Open University, Kota

डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश

1. प्री डी. एल. एड. परीक्षा 2025 का परिणाम दिनांक 14.06.2025 को अधिकृत वेबसाइट <https://predeledraj2025.in/> पर सायं 05:30 बजे जारी किया जा चुका है। प्रवेश परीक्षा में प्रत्येक पारी के प्रश्न पत्रों को वेबसाइट पर दिए गए फार्मूला अनुसार खण्ड अनुसार (भाग – अ, ब, स, एवं द) स्केलिंग / नार्मलाइज किया गया है। तत्पश्चात खण्ड अनुसार नार्मलाइज किये गए अंकों को जोड़कर उनका प्रतिशत (Percentage after scaling / Normalization of marks) जारी किया गया है। प्राप्त प्रतिशत के आधार पर ही वरीयता का निर्धारण किया जाएगा।
2. पंजीयन हेतु अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय भरी गयी जानकारी उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि उक्त जानकारी को सावधानी पूर्वक जांच लें। यदि उक्त में कोई संशोधन हो तो अभ्यर्थी Correction Panel बटन पर क्लिक करके 200/- रूपए शुल्क के साथ संशोधन कर सकता है। नाम, माता का नाम, पिता का नाम, फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान एवं पाठ्यक्रम के प्रकार (सामान्य / संस्कृत) में संशोधन नहीं किया जा सकेगा।
3. परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस परीक्षा में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क 3000/- रूपए जमा करवा कर काउंसलिंग में भाग ले सकता है। यह राशि प्रवेश के पश्चात पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित की जाएगी।
4. प्री डी. एल. एड. परीक्षा सामान्य व संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूनिक काउंसलिंग आई डी परिणाम के साथ दे दी गई है। प्री डी.एल. एड. परीक्षा दोनों पाठ्यक्रमों में तथा अल्प भाषा हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु दो काउंसलिंग आई डी जारी कर दी है। अभ्यर्थी फीस भरने के उपरान्त दोनों काउंसलिंग आई डी में से संबंधित पाठ्यक्रम की काउंसलिंग आई डी का प्रयोग कर संबंधित अध्यापक शिक्षा संस्थान का विकल्प भर सकेंगे।
उदाहरण के लिए :- किसी अभ्यर्थी ने प्री डी. एल. एड. के दोनो पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन किया है तो उसे सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आई डी का चयन कर सामान्य पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं एवं संस्कृत पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आई डी का चयन कर संस्कृत पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं।
5. इसी तरह किसी अभ्यर्थी ने प्री डी. एल. एड. परीक्षा में अल्पभाषा हेतु आवेदन किया है तो उसे सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आई डी का चयन कर सामान्य पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं एवं अल्पभाषा पाठ्यक्रम के लिए उपलब्ध काउंसलिंग आई डी का चयन कर अल्पभाषा पाठ्यक्रम वाले अध्यापक शिक्षा संस्थानों के विकल्प भरने हैं।
6. अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्पों (Choice) में से अधिकतम विकल्प भरें। अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम के सभी उपलब्ध अध्यापक शिक्षा संस्थानों का भी चयन कर सकता है। विकल्प प्रदान करने हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अभ्यर्थियों को अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन हेतु विकल्प भरने के लिए निर्धारित तिथि के बाद कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को कम से कम एक अध्यापक शिक्षा संस्थान अथवा एक जिले का चयन आवश्यक रूप से करना होगा।

7. यदि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध जिलों के विकल्पों में से किन्हीं जिलों के विकल्पों का चयन किया जाता है तब उन जिलों में स्थित सभी अध्यापक शिक्षा संस्थानों को आवंटन हेतु अभ्यर्थी द्वारा भरी गई अध्यापक शिक्षा संस्थानों की विकल्प सूची में जोड़ कर तदनानुसार आवंटन किया जायेगा।
8. अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटन की प्रक्रिया (काउंसिलिंग) पूर्णतः ऑनलाइन है, काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी प्री डी. एल. एड. परीक्षा 2025 के अपने मूल आवेदन-पत्र में दर्शाए गये कटेगरी (GEN, SC, ST, OBC, SBC, MBC, EWS etc.) तथा सब कटेगरी (Divorcee/Widow/PH/Defense etc.) की जाँच कर ले तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो यह सुनिश्चित कर लें। वैध जाति प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक रूप से वैध मूल निवासी प्रमाण पत्र / विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र (जो लागू हो) संलग्न होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास अर्हता, कटेगरी (अर्हता परीक्षा में GEN के लिए 50% व महिला एवं EWS / SC / ST / OBC / SBC / MBC / PH / Widow / Divorce के लिए 45% से उत्तीर्ण) से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी। मूल दस्तावेजों एवं अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना में भिन्नता पाए जाने पर अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
9. अध्यापक शिक्षा संस्थानों के चयन हेतु प्री डी. एल. एड. परीक्षा 2025 की अधिकृत वेबसाइट पर स्थित अध्यापक शिक्षा संस्थानों की सूची के नाम पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं इन अध्यापक शिक्षा संस्थानों के बारे में सम्पूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें तदुपरान्त ही काउंसिलिंग हेतु अधिक से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन कर ही लॉक करना उचित रहेगा। All Rajasthan का चयन अति सावधानी से करें। अध्यापक शिक्षा संस्थान चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी न करें एक बार लॉक होने पर पुनः अध्यापक शिक्षा संस्थान विकल्प का चयन नहीं होगा।
10. यदि अंतिम तिथि तक चॉइस लॉक नहीं की जाती है तो अंतिम तिथि के उपरान्त भरी गयी चॉइस स्वतः ही लॉक हो जायेगी।
11. प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण रूपेण सम्पन्न होने के पश्चात प्रवेश में असफल (संस्था आवंटन से वंचित) रहे अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क 3000/- रुपये में से 100/- रुपये काटते हुए 2900/- रुपये तथा संस्था आवंटन के पश्चात नॉन रिपोर्टिंग अभ्यर्थियों के 500/- रुपये काटते हुए 2500/- रुपये वापस लौटाया जायेगा। रिफण्ड केवल अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध करवाए गए बैंक खातों में ही होंगे। अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, IFSC CODE इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें। बैंक खाता विवरण गलत दिए जाने से होने वाली क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
12. अभ्यर्थी को गलत तथ्यों यथा मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने, अर्जित योग्यता/परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने तथा गलत कटेगरी (संवर्ग) में अपने आप को पंजीकृत करने इत्यादि के आधार पर प्रवेश लेने का प्रयास किये जाने पर अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के पंजीकरण शुल्क की राशि रुपये 3000/- जब्त कर ली जायेगी एवं उचित कार्यवाही की जाएगी।
13. अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गये अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश शुल्क 13555/- फीस जमा होने और अध्यापक शिक्षा संस्थान द्वारा सत्यापन होने के उपरान्त ही अपवर्ड मूवमेंट कर सकता है। अपवर्ड मूवमेंट के उपरान्त नया अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी, वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफण्ड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नये आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। पुनः फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में प्रवेश संभव नहीं है।
14. डी. एल. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये समय-समय पर राज्य सरकार, NCTE अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे।
15. अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान की होगी।
16. जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग नहीं करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

17. प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थान चयन/आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओंका कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा :-

क्र. सं.	विवरण	प्री डी. एल.एड. परीक्षा 2025 की समय सारणी
1.	काउंसलिंग पंजीयन से पूर्व आवेदन में संशोधन मय शुल्क 200/- ऑनलाइन भुगतान	15-06-2025 (रविवार) से 23-06-2025 (सोमवार) तक
2.	काउंसलिंग पंजीयन एवं शुल्क 3000/- ऑनलाइन (ई – मित्र / नेट बैंकिंग / डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई द्वारा) भुगतान तिथि जमा करवा कर शिक्षा संस्थानों में ऑनलाइन सूची के अनुसार विकल्प भरने की तिथि	15-06-2025 (रविवार) से 23-06-2025 (सोमवार) तक
3.	प्रथम चरण अलोटमेंट सूची	26-06-2025 (गुरुवार)
4.	प्रथम चरण की अलोटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क (13555/-) का ऑनलाइन (ई – मित्र / नेट बैंकिंग / डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई द्वारा) भुगतान तिथि	26-06-2025 (गुरुवार) से 02-07-2025 (बुधवार) तक
5.	अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना	27-06-2025 (शुक्रवार) से 03-07-2025 (गुरुवार) तक
6.	शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना	27-06-2025 (शुक्रवार) से 03-07-2025 (गुरुवार) तक
7.	संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना	27-06-2025 (शुक्रवार) से 04-07-2025 (शुक्रवार) तक
8.	संस्थानों द्वारा कक्षाओं का आरम्भ	03-07-2025 (गुरुवार)
9.	अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन करने की तिथि	04-07-2025 (शुक्रवार) से 05-07-2025 (शनिवार) तक
10.	अपवर्ड मूवमेंट उपरान्त परिणाम की घोषणा	07-07-2025 (सोमवार)
11.	अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की तिथि	07-07-2025 (सोमवार) से 09-07-2025 (बुधवार) तक
12.	संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर छात्राध्यापक के प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापित करने की तिथि	07-07-2025 (सोमवार) से 09-07-2025 (बुधवार) तक
13.	द्वितीय चरण अलोटमेंट सूची	13-07-2025 (रविवार)
14.	द्वितीय चरण की अलोटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क (13555/-) का ऑनलाइन (ई – मित्र / नेट बैंकिंग /	14-07-2025 (सोमवार) से 18-07-2025 (शुक्रवार) तक

	डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई द्वारा) भुगतान तिथि	
15.	अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना	14-07-2025 (सोमवार) से 19-07-2025 (शनिवार) तक
16.	शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना	14-07-2025 (सोमवार) से 19-07-2025 (शनिवार) तक
17.	संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना	14-07-2025 (सोमवार) से 19-07-2025 (शनिवार) तक
18.	तृतीय चरण अलोटमेंट सूची	22-07-2025 (मंगलवार)
19.	तृतीय चरण की अलोटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क (13555/-) का ऑनलाइन (ई – मित्र / नेट बैंकिंग / डेबिट/क्रेडिट कार्ड/यूपीआई द्वारा) भुगतान तिथि	22-07-2025 (मंगलवार) से 25-07-2025 (शुक्रवार) तक
20.	अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करना	22-07-2025 (मंगलवार) से 26-07-2025 (शनिवार) तक
21.	शिक्षा संस्थानों द्वारा प्रवेशार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश को अधिकृत पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना	22-07-2025 (मंगलवार) से 26-07-2025 (शनिवार) तक
22.	संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं के लॉगिन से प्रोविजनल प्रवेश स्लिप प्राप्त करना	22-07-2025 (मंगलवार) से 26-07-2025 (शनिवार) तक
23.	अभ्यर्थी को शुल्क रिफंड करना	प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 45 कार्यदिवस अवधि में

समन्वयक
प्री डी.एल.एड. परीक्षा 2025